राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

(22)

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल / 2010 / 4602 दिनांकः– 25/11/2010

परिपत्र क्रमांक – 9 / 2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत की गई तलाशी, जब्ती, न्यायालय को सूचना प्रदान करने एवं समन्वयक की भूमिका के बारे में सामान्य दिशा निर्देश।

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, जिला पाली में समुचित प्राधिकारी द्वारा, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को, निरीक्षण एवं सील सीजर की कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया है, जिसके संबंध में एक केन्द्र के द्वारा, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी के विरूद्व, पुलिस थाने में अभियोग पंजीबद्व कराया जाकर, उसके द्वारा की गई कार्यवाही एवं उसके आशय पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किये गये हैं।

2. जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर, यह भी पाया गया है कि, उपखण्ड समुचित प्राधिकारी, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने में स्वयं को असहज अनुभव करते हैं एवं विधिक कार्यवाही एवं परिवाद की प्रक्रिया से संबंधित कार्यों में, विधिक रूप से रूचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, फलस्वरूप्र अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा हैं। जिलों में निरीक्षण कार्यवाही के समय, अभिलेख में पाई गई त्रुटियों को निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया जाता है, किन्तु संबंधित अभिलेख साक्ष्य के तौर पर सीज नहीं किया जाता, फलस्वरूप न्यायालय में तथ्यों को साबित नहीं किया जा सकता है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह भी पाया गया है कि, प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करते समय परिवाद के संलग्न मूल रिकार्ड प्रस्तुत नही किया जाकर, अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जो विधि सम्मत नहीं है।

3. यह भी ध्यान में लाया गया है कि समुचित प्राधिकारियों द्वारा अपराध का उल्लंघन पाया जाने पर, मशीनों को सील सीज करने के पश्चात, अपने स्तर पर ही रिलीज कर दिया जाता है जो विधि सम्मत नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत, उल्लंघन के फलस्वरूप किये गये सील/सीजर आपराधिक प्रकरणों में वास्ते साक्ष्य, वजह सबूत किये जाते हैं एवं इस प्रकार किये गये सील सीजर, न्यायालय के कार्य क्षेत्र की परिधि में होकर, न्यायालय के आदेश से ही सम्बन्धित सम्पत्ति को उन्मोचित (रिलीज) किया जा सकता है। समुचित प्राधिकारी को आपराधिक प्रकरणों में की गई सील सीजर की सम्पत्ति मुक्त करने के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जिला समन्वयकों द्वारा भी स्पष्ट विधिक राय पत्रावलियों पर नहीं दी जाकर, विधिक कार्यवाही,

25/11/2010 — परिपत्र

सम्पादन हेतु प्रयास नहीं किये जा रहे हैं अथवा समुचित प्राधिकारियों द्वारा भी, समन्वयक की विधिक सलाह लेने के प्रयास प्रदर्शित नहीं किये जा रहे हैं।

4. राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में उपरोक्त बिन्दूओं से संबंधित विचार किया गया एवं पाया गया कि, अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये तलाशी, जब्ती, उससे संबंधित न्यायालय को सूचना, तथा सम्पत्ति का उन्मोचन एवं समन्वयक की भूमिका के बारे में समुचित निर्देश प्रदान किया जाना आवश्यक है, फलस्वरूप राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा, इस विषय पर राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर, एतद् द्वारा समस्त समुचित प्राधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

(1) समुचित प्राधिकारी में निहित उत्तरदायित्व एवं कार्यवाही की पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को निरीक्षण एवं सीजर की कार्यवाही के लिये अधिकृतं नहीं किया जावे, इसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी के नेतृत्व में निरीक्षण दल का गठन किया जाकर, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को दल के सदस्य के रूप में मनोनित किया जा सकता है, क्योंकि इससे कार्यवाही की पारदर्शिता भी बनी रहेगी एवं निरीक्षण हेतु अन्य अधिकारी को अधिकृत करना विधिक रूप से अधिनियम में मान्य है।

(2) अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत, किसी अन्य अधिकारी (Officer) के द्वारा तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की जा सकती है, ऐसी स्थिति में समुचित प्राधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी को तलाशी व जब्ति के लिये अधिकृत किया जाकर, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को भी निरीक्षण दल में अन्य सदस्यों के साथ सदस्य मनोनित किया जा सकता है, इसी प्रकार परिवाद प्रस्तुत करने के लिये भी किसी अधिकारी (Officer) को समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाकर, अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जा सकती हैं।

(3) अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप की गई कार्यवाही के दौरान किये गये सील एवं सीजर, दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत किये जाते हैं एवं इस संबंध में सील एवं सीजर की गई सम्पत्ति को, समुचित प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर निस्तारण/रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपराधिक प्रकारण में निस्तारण की कार्यवाही भी दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, अर्थात ऐसी की गई सील एवं सीजर का निस्तारण न्यायालय के आदेश से ही विधिवत किया जावे।

(4) ज़िला समन्वयक पीसीपीएनडीटी का प्रत्येक प्रकरण में यह उत्तरदायित्व होगा कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर, संबंधित समुचित प्राधिकारी को विधिक सलाह / सहायता प्रदान की जावेगी एवं समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में ज़िला समन्वयक से विधिक सलाह प्राप्त की जा सकेगी।

(5) निरीक्षण के समय अभिलेख में पाये गये उल्लंघन से संबंधित अभिलेख को आवश्यक रूप से सीज किया जावे एवं परिवाद के साथ सक्षम न्यायालय में मूल अभिलेख को प्रस्तुत किया जावे।

(6) राज्य समुचित प्राधिकारी बहुसदस्यीय प्राधिकारी हैं एवं राज्य में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा निर्णय लिये जाकर, कियान्विती हेतु आदेश जारी किये जाते हैं, जिसमें न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आदेश भी हैं, चूंकि बहुसदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी का न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होना कियात्मक रूप से संभव एवं समुचित नहीं है, एवं उनके द्वारा जो भी निर्णय लिये जाते हैं, प्राप्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिये जाते हैं, ऐसी स्थिति में परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आदेशों को, संबंधित समुचित प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यायालय में साबित किया जा सकेगा एवं राज्य समुचित प्राधिकारी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद की साक्षीगणों की सूची में नहीं रखा जावे।

(7) न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने पर मूल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये जाकर, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां कार्यालय पत्रावली में रखी जावे।

(8) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका में अंकित निर्देशों की अनुपालना में, प्रत्येक सील एवं सीजर की सूचना, सक्षम न्यायालय में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

5. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(डॉ0 प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।